



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

No. 450

8 aashadh, 1938 (S)

Ranchi, Thursday, 29th June, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

29th June, 2017

S.O-48- Dated- 29th June, 2017-- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government hereby appoints the 1st day of July, 2017, as the date on which the provisions of sections 6 to 9, 11 to 21, 31 to 41, 42 except the proviso to sub-section (9) of section 42, 43 except the proviso to sub-section (9) of section 43, 44 to 50, 53 to 138, 140 to 145, 147 to 163, 165 to 174 of the said Act, shall come into force.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017]
By the order of the Governor of Jharkhand

K.K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum-Commissioner

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना**29 जून, 2017**

एस० ओ०-48- दिनांक- 29 जून, 2017-- राज्य सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 6 से धारा 9, धारा 11 से धारा 21, धारा 31 से धारा 41, धारा 42 की उपधारा (9) के परंतुक के सिवाय धारा 42, धारा 43 की उपधारा (9) के परंतुक के सिवाय धारा 43, धारा 44 से धारा 50, धारा 53 से धारा 138, धारा 140 से धारा 145, धारा 147 से धारा 163, धारा 165 से धारा 174 के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

[सं.सं. वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,

प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।
